

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, धनवा

प्रकरण सं:-246/2018


दिनांक:-18.6.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1596

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चाडों की ढाणी व भूअ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारा महेचान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या 216 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | खारा महेचान | 216 | 623/2, 689, 721 722, 750 759 | लच्छा पुत्र वीरमा | लच्छाराम पुत्र वीरमाराम <u>शेष बटुस्तर</u> |


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:-18-06-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1597-99

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लच्छाराम पुत्र वीरमाराम निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी